

मसूदा (अजमेर)

12/11/17 बकील वादी उपस्थित। उल्लेखे निवेदन दिया कि वादीगण की  
ओर से मुझे सिदायत पैरवी नहीं है। और ना ही मेरे सम्पर्क के दो  
कॉरे आदेशिक पर सिदायत पैरवी नहीं होना अस्वीकृत किया। व  
उनिवादी गण की ओर से भी कोई उपस्थित अदालत नही आया कसः  
वादीगण को इजलास वक्त तक बार बार आवॉर्ज दिलाई गई  
परन्तु उनकी ओर से कोई कदालत उपस्थित नही आया  
कस प्रकार अदम पैरवी अदम हाजिरी के खारिज किया जाय  
है। मिसल फैसल शुमार ठेकर नम्बर से कम है। दफतर दाखिल है।

श्रीमान  
सिदायत पैरवी  
नहीं है।  
11/17

उपखण्ड अधिकारी  
मसूदा (अजमेर)

